न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 295/2016/225 आरटीए

1. रणजीत पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्ण पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. दलीप पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. हुक्माराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. गुलाबी देवी पत्नि केसराराम जाति नायक निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. लालचंद पुत्र सुल्तान जाति नायक निवासी चक 3 डीडब्ल्यूएसएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. जगदीश पुत्र सुल्तान जाति नायक निवासी चक 3 डीडब्ल्यूएसएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. धोलूराम पुत्र लीलूराम जाति नायक निवासी चक 3 डीडब्ल्यूएसएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्टस

—: बनाम :—

1. राजबाला पत्नि बृजलाल जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. सोहनलाल पुत्र रूपाराम जाति नायक निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. रामचंद्र पुत्र रूपाराम जाति नायक निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. चेतराम पुत्र रूपाराम जाति नायक निवासी 3 सीवाईएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. फूली देवी पुत्री केसराराम पत्नि बुधराम जाति नायक निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. काली पुत्री केसराराम पत्नि मांगीलाल जाति नायक निवासी 3 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

7. सुमित्रा पुत्री केसराराम पत्नि श्योपतराम जाति नायक निवासी खारी मोरजण्डा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. कमला पुत्री केसराराम पत्नि तुलछाराम जाति नायक निवासी खारी मोरजण्डा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. आसी देवी पत्नि सुल्तान जाति नायक निवासी चक 3 डीडब्ल्यूएसएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. सावित्री पुत्री सुल्तान पत्नि ओमप्रकाश जाति नायक निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. सोनी पुत्री सुल्तान पत्नि मनफूल जाति नायक निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानग़ढ़।
12. माया पत्नि महलाराम जाति नायक चक 3 डीडब्ल्यूएसएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. मनीष पुत्र महलाराम जाति नायक निवासी चक 3 डीडब्ल्यूएसएम तहसील रावतसर नाबालिग जरिये माता माया पत्नि महलाराम जाति नायक।
14. विनोद पुत्र महलाराम जाति नायक निवासी चक 3 डीडब्ल्यूएसएम तहसील रावतसर नाबालिग जरिये माता माया पत्नि महलाराम जाति नायक।
15. तहसीलदार राजस्व रावतसर।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.02.2016 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 581/2015

श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0
श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता रेस्पो0
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक —03.07.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं. 2 ता 14 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि के लिये रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार

कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत बिना कोई जांच किए विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत बिना दस्तावेजी साक्ष्यों पर गौर किए पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि मे रास्ता स्वीकृत करने का मुख्य आधार कि.न. 23, 24, 25 मे मौका पर रास्ता चालू होना माना है जबकि अपीलाण्ट की भूमि चक 2 डीडब्ल्यूएसएम के प.न. 197/423 कि.न. 5, 6,15,16,25 मे सिंचाई हेतु नाके स्वीकृत है व मौके पर नाके बने हुए है एवं कि.न. 23,24,25 मे अपीलाण्ट का खाला भी बना हुआ है। उक्त कि.न. 23,24,25 मे कभी भी रास्ता चालू नही रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट कथन किया था कि चक 2 डीडब्ल्यूएसएम के प.न. 195/423 मु.न. 12 कि.न. 21,22,23 मे पूर्व मे ही रास्ता स्वीकृत है व उक्त प.न. 24, 25 मे केवल मात्र 2 बीघा मे रास्ता स्वीकृत होने से रेस्पो. सं. 1 अपनी कृषि भूमि मे आ जा सकती है।

4. अपीलाण्ट की भूमि कमाण्ड भूमि है तथा रेस्पो0 सं. 1 की भूमि अनकमाण्ड एवं बारानी भूमि है। अपीलाधीन रास्ता स्वीकृत होने से अपीलाण्ट की सिंचाई सुविधा बाधित हो जाएगी। अपीलाधीन निर्णय मे पीठासीन अधिकारी द्वारा तहसीलदार रावतसर व पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण करने का कथन किया है परन्तु अपीलाण्ट की उपस्थिति मे कभी भी मौका निरीक्षण नही किया गया व न ही अपीलाण्ट को मौका निरीक्षण बाबत कोई सूचना दी गई। विचारण न्यायालय ने सभी काश्तकारो को सुने बिना व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं अपीलाण्ट द्वारा बताए रास्ता के विकल्प की कोई जांच किए बिना प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। धारा 251 ए आरटी एक्ट मे यह स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ता स्वीकृत करने के समय रास्ते के सभी विकल्पों की जांच की जाए परन्तु विचारण न्यायालय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत निर्णय पारित किया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन मे डीएनजे 2017(2)पेज 299 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के द्वारा चक 2 डीडब्ल्यूएसएम के प.न. 196/423 कि.न. 23, 24 व 25 प्रत्ये कमे 0.013 है0 दक्षिणी पासा पर पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया गया है तथा इस स्वीकृतशुदा रास्ता के बदले मे अपीलाण्ट को रेस्पो0 की चक 2 डीडब्ल्यूएसएम की अपीलाण्ट की चिपती भूमि प.न. 195/423 कि.न. 2,9,12 व 19 प्रत्येक मे 0.008 है0 व कि.न. 22 मे 0.007 है0 कुल 0.039 है0 भूमि कि.न. 22 मे रेस्पो0 को प्रवेश हेतु रास्ता भूमि के सामने के स्थान को छोड़कर दिये जाने के आदेश दिये गये है जो विधि सम्मत है। रेस्पो0 उक्त कि.न. 23 ता 25 मे प्रत्येक मे 0.013 है0 दक्षिणी दिशा पर पूर्व से पश्चिमी लम्बा रास्ता से आवागमन करती आ रही है एवं उक्त रास्ता वर्तमान मे चालू है तथा यही रास्ता सुविधाजनक है। उक्त रास्ते के अलावा रेस्पो0 को आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।
6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।
7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होता है कि प्रकरण मे वर्णित विवादित रास्ता के संबंध मे उपखण्ड अधिकारी स्वयं के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तथा मौका पर प्रश्नगत रास्ता चालू पाया गया व मौका अनुसार प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही उपयुक्त नही पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे स्वीकृत रास्ता पूर्व मे चालू रहा है तथा मौका निरीक्षण के दौरान भी प्रश्नगत रास्ता चालू पाया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेंट को अपनी कृषि भूमि मे जाने के लिए रिकार्डेड वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा रास्ता हेतु आवेदन मात्र सुविधा के लिए नही किया गया है अपितु अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन रास्ता परम आवश्यकता के लिए प्रस्तुत किया गया है जिस पर विचारण न्यायलय द्वारा रेस्पो0 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे आवागमन के लिये रास्ते की परम आवश्यकता को

मध्यनजर रखते हुये पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी स्वयं द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे अंकन किया है कि मौका अनुसार प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया के खेत के लिए उपयुक्त नही है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं स्वयं द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के अनुसार प्रकरण मे विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट को रास्ते की परम आवश्यकता नही होने एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मे उपलब्ध रास्ते का प्रयोग करते हुये सुलभ मार्ग स्वीकृत किये जाने को त्रुटिपूर्ण माना गया है परन्तु इस प्रकरण मे प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा प्रश्नगत स्वीकृत रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत चस्पा नही होते है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नही पाये जाने के कारण हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़